न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 165/2021 राजस्व वाद

सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भोलाराम रेगर आयु वयस्क निवासी– दोलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

—— वादी

बनाम

1 श्रीमती कंवरी बाई पत्नी स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2 गुलाब देवी पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3 ज्ञानी पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

4 दुर्गाबेन पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

5 प्रमिलाबेन पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

6 पानी देवी पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

7 बंशी लाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

8 रामबक्ष पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन

———अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 28/03/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 877 मे आराजी नम्बर 3563/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर एवं खाता संख्या 878 आठ सौ अठहतर मे आराजी नम्बर 3563/1 रकबा 0.0885 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का 1/2 हक हिस्सा होकर अन्य के साथ राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 आठ के पिता व पति कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारी खटीक द्वारा वादी को दिनांक 25 फरवरी 2008 को बिल एवज 60,000/– रूपये मे विक्रय किया गया , प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 आठ के पिता व पति कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारी खटीक द्वारा उक्त भूमि खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय की गयी, लेकिन नामान्तरणकरण नही खुल पाया था। इसलिए जल्दी ही वादी के नाम पर करवाने का आंश्वासन दिया गया व एक विक्रय इकरार दिंनाक 25 पच्चीस फरवरी 2008 दो हजार आठ को 50/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया व उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द किया गया। क्रय की दिनांक से उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 आठ के पिता व पति क[illegible] पुत्र श्री हजारी खटीक को भी उक्त भूमि वादी के नाम पर करवाने [illegible] रहे व कन्हैया लाल जी का देहान्त हो चुका है, देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ को कहने पर जल्दी ही वादी के नाम पर दर्ज करवाने का आश्वासन दिया गया। वादी का उक्त भूमि पर दिनांक 25 पच्चीस फरवरी 2008 दो हजार आठ से निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 आठ से उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज करवाने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 वादी के नाम पर करवाने का आश्वासन दिया गया व उक्त भूमि खातेदारी से दर्ज होने व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ के नाम पर विरासत से दर्ज होने के बावजूद भी वादी के नाम पर दर्ज नही करवायी है। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ का वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार नही है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ वादी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा करने लग गये व दिनांक 15 पन्द्रह दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने व आराजी उनके नाम पर दर्ज होने से अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ का कोई हक अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी व वादी अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 877 मे आराजी नम्बर 3563/2 पैतीस सौ तरेसठ/दो रकबा 0.1012 हैक्टयर एवं खाता संख्या 878 आठ सौ अठहतर मे आराजी नम्बर 3563/1 पैतीस सौ तरेसठ/एक रकबा 0.0885 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ के ... पति कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारी खटीक द्वारा वादी को दिनांक 25 पच्चीस फरवरी ... दो हजार आठ को विक्रय कर देने से उनका कोई हक अधिकार नही होकर वादी ... के आधार पर मालिक काबिज है व वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ के नाम हटा, राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त सम्पूर्ण आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 877 मे आराजी नम्बर 3563/2 पैतीस सौ तरेसठ/दो रकबा 0.1012 हैक्टयर एवं खाता संख्या 878 आठ सौ अठहतर मे आराजी नम्बर 3563/1 पैतीस सौ तरेसठ/एक रकबा 0.0885 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का 1/2 हकं हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ के पिता व पति कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारी खटीक द्वारा वादी को दिनांक 25 पच्चीस फरवरी 2008 दो हजार आठ को विकय की गयी, तब से निरन्तर रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है, वादी एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ का नाम विलोपित करा राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त सम्पूर्ण आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है , तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 आठ सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया । जिनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये व साथ ही वादी व गवाहान के शपथपत्र पेश हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान की ओर से बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 आठ के पिता व पति कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारी खटीक द्वारा स्वअर्जित स्वयं की खरीदी हुई प्रर्दश सख्या 4 व 5 प्रश्नगत खातेदारी आराजियात को दनांक 25 फरवरी 2008 को वादी को विकय करना साबित होता है जिसे वादी के नाम पर दर्ज कराने का विश्वास दिलाया कय की दिनांक 25/02/2008 से वादी का निर्बाध रूप से कब्जा है जिसका वादी एंव उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के पिता व पति कन्हेया लाल द्वारा उक्त भूमि विकय कर देने से उनका हक अधिकार, स्वत्व नही रहा है , वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहन शपथपत्रो के आधार पर भी कब्जा वादी का ही है। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

कि विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा वादी व गवाहान के बयानो से साबित होता है व वादी को मौके से बेदखल किया जाने पर वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना लाजमी होने ।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादपत्र के कथन, दस्तावेजात, अधिवक्तावादी की बहस, शपथपत्रो के कथनो एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 3563/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर एवं खाता संख्या 878 आठ सौ अठहतर मे आराजी नम्बर 3563/1 रकबा 0.0885 हैक्टयर भूमि के 1/2 हक हिस्से से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व वादी के नाम पर भूमि दर्ज की जावे व चूकि विकय ईकरारनामे के आधार पर भूमि हस्तानान्तरण होने से स्टाम्प डयूटी नही दी गई अतः समुचित स्टाम्प डयूटी राजकोष मे जमा करावे। साथ ही प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 165/2021 राजस्व वाद

सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भोलाराम रेगर आयु वयस्क निवासी– दोलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

—— वादी

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती कंवरी बाई पत्नी स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गुलाब देवी पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. ज्ञानी पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. दुर्गाबेन पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्रमिलाबेन पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. पानी देवी पुत्री स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. बंशी लाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. रामबक्ष पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल खटीक आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested

—— प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 28/02/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 3563/2 रकबा 0.1012 हैक्टयर एवं खाता संख्या 878 आठ सौ अठहतर मे आराजी नम्बर 3563/1 रकबा 0.0885 हैक्टयर भूमि के 1/2 हक हिस्से से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व वादी के नाम पर भूमि दर्ज की जावे व चूकि विक्रय ईकरारनामे के आधार पर भूमि हस्तानान्तरण होने से स्टाम्प डयूटी नही दी गई अतः समुचित स्टाम्प डयूटी राजकोष मे जमा करावे। साथ ही प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:32:44 IST
Reason: SelfAttested